**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 900**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**एंटी-बायोटिक प्रतिरोध्कता के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए उपाय**

**900. श्री सुखेन्दु शेखर रायः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2050 तक एंटी बायोटिक प्रतिरोधकता के कारण भारतीयों की मृत्यु दर 20 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है;

(ख) यदि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से सहमत नहीं है तो इस संबंध में इसके अपने आंकड़े क्या है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एंटी-बायोटिक प्रतिरोधकता के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या कारण है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक)

(क) एवं (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) से प्राप्त सूचना के आधार पर, सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा दी गई ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। फिलहाल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोध की वजह से होने वाली मौतों के संबंध में डाटा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) और (घ): देश में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी (एएमआर) के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एक राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध संस्थान और निगरानी नेटवर्क (एएमआरआरएसएन) का गठन किया है ताकि स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर एएमआर के राष्ट्रीय डाटा का संकलन किया जा सके।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत नई अनुसूची एच1 शामिल करने के लिए वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था जिसमें 46 औषधें निहित थीं जिनमें इन औषधों की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए III और IV जेनरेशन के एंटीबायोटिक्स, क्षय रोगरोधी औषधें और आदत बन जाने वाली कतिपय औषधें शामिल थीं। अनुसूची एच1 के अंतर्गत आने वाली औषधों को निम्नलिखित शर्तों के साथ देश में बेचा जाना अपेक्षित हैः

(1) अनुसूची एच1 में विनिर्दिष्ट औषध की आपूर्ति को इसे देते समय एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें प्रिस्क्राइब करने वाले का नाम व पता, रोगी का नाम, औषध का नाम और दी गई मात्रा लिखी जाएगी और ऐसे रिकॉर्ड तीन साल तक अनुरक्षित रखे जाएंगे और ये निरीक्षण हेतु सुलभ होंगे।

(2) अनुसूची एच1 में विनिर्दिष्ट औषध पर आरएक्स के चिह्न वाला लेबल लगाया जाएगा जो लाल रंग से लिखा होगा और जिसे लेबल के बांई तरफ कोने में सबसे ऊपर स्पष्टतापूर्वक प्रदर्शित किया जाएगा और लाल रंग के बोर्डर वाले एक बाक्स में निम्नलिखित शब्दों का भी लेबल लगाया जाएगाः

|  |
| --- |
| “अनुसूची एच1 औषध-चेतावनीः  -चिकित्सीय परामर्श के बगैर इस दवा को लेना खतरनाक है।  -किसी पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खुदरा बिक्री नहीं की जाएगी।” |

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध रोकथाम नीति तैयार की है। निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय एएमआर रोकथाम कार्यक्रम भी शुरू किया गया हैः

* देश में एएमआर के लिए प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा प्रयोगशाला आधारित निगरानी तंत्र की स्थापना करना और जन स्वास्थ्य महत्व के पैथोजन के लिए एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के संबंध में गुणवत्ता युक्त डाटा तैयार करना।
* एंटीबायोटिक्स के तर्कसंगत प्रयोग के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों और समुदायों में जागरूकता पैदा करना।
* संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों और परिपाटियों का सुदृढ़ीकरण तथा एंटीबायोटिक्स के तर्कसंगत प्रयोग को बढ़ावा देना।

\*\*\*